कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024 **दिनांक 25/08/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 24.08.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद पिस्टल .32 बोर बरामद

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये अभियान के तहत दिनांक 22.08.2024 को वायरल वीडियो अवैध पिस्टल लहराने Daily News Activist की जांच के दौरान अभियुक्त विधान यादव पुत्र हरि नारायन यादव निवासी फाक्सगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दिनांक 23.08.2024 को समय करीब 21:15 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर बरामद किया गया। जिसका वीडियो से मिलान किया तो बरामद पिस्टल वायरल विडियो की है। बरामद अवैध देशी पिस्टल के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 394/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विधान यादव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

विधान यादव पुत्र हरि नरायन यादव निवासी फाक्सगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर वर्ष उम्र करीब 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 392/2024 धारा 352,351(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

मु0अ0सं0 394/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. थाना सैदपुर पुलिस टीम के द्वारा बड़ी सफलता,अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ(हेरोइन) की अवैध तस्करी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को 375 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये है) के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 23.08.2024 नारकोटिक्स/स्वाट टीम व थाना सैदपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ (हेरोइन) की अवैध तस्करी करने वाले सदस्य के 01 नफर अभियुक्त विशाल यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी दारुनपुर महुलिया थाना सैदपुर

गाजीपुर को 375 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये है) के साथ रामकरन सेतु गंगा पुल बहद कस्बा के पास से समय करीब 22.00 बजे गिरफ्तार किया गया। हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरफ्तारशुदा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 167/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

विशाल यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी दारुनपुर महुलिया थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र- 26 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1 . मु0अ0सं0 167/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर।

<u>बरामदगीः-</u>

1.375 ग्राम अवैध हेरोइन (अन्तराष्ट्रीय बाजार मे अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रू0)

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर